

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक:- मुसप्र/खुली बिक्री/ 2019/ 360

दिनांक:- 4/10/19

संशोधित आदेश


आवासीय अभियंता, खण्ड-बाड़मेर के अधीन आवासीय योजना फलौदी के उच्च आय वर्ग के आवास संख्या 2-डी-12 का खुली बिक्री के माध्यम से निस्तारण की स्वीकृति इस कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/खुली बिक्री/2019/569 दिनांक 02.09.2019 दी गयी थी। सहवन से आवास संख्या 2-बी-12 के स्थान पर उक्त आदेश के क्रम संख्या 6 पर आवास संख्या 2-डी-12 अंकित हो गया है।

अतः आवास संख्या 2-डी-12 के स्थान पर 2-बी-12 पढ़ा एवं समझा जावें।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रातलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, रा0 आ0 मा0, जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, वृत्त-द्वितीय, जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड बाड़मेर, रा0आ0म0 बाड़मेर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक